"राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार-2018"

फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी/उपखण्ड मजिस्ट्रेट, आमेट जिला राजसमंद

प्रकरण : संख्याः– 11/2017 शीर्षक :– श्री सत्यनारायण बनाम श्री हीरा वगेरा

राजस्व लोक अदालत "न्याय आपके द्वार – 2018"

दिनांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर/सूचना नं.
25.05.2018	पत्रावली पेश हुई। दोनो पक्षकारान के अधिवक्ता की बहस सुनी गई एवं न्यायालय द्वारा पूर्व में दिनांक 01.05.2018 को जारी पी.डी. की पालना में तहसीलदार आमेट द्वारा ग्राम सबलो का खेडा पटवार हल्का साकरडा, तहसील आमेट जिला राजसमन्द के खाता संख्या 131 के आराजी नम्बर 1068 रकबा 2.8200 हेक्टर का तहसीलदार आमेट ने राजस्व मण्डल के नियमों के तहत विधिवत् बटवारा न्यायालय में प्रस्तुत किया है। प्रस्तुत विभाजन से दोनो पक्षकारान् के अधिवक्ता सहमत है एवं इसी अनुसार अन्तिम डिक्री पारित करने की इस्तदुआ की गई ।	
	हमने पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं प्रस्तुत पत्रावली पर विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया गया, तहसीलदार आमेट ने राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 को मध्यनजर रखते हुए विभाजन किया है एवं प्रस्तुत विभाजन से अधिवक्ता भी सहमत है जिसे वादी का वाद अन्तर्गत धारा राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 53 का स्वीकार किया जाता है एवं पक्षकारान् के मध्य निम्नानुसार विभाजन करने की आज्ञा दी जाती है।	

नाम खातेदार	खसरा नम्बर	रकबा	लगान
श्री हीरा पिता जवारू 141/174 भेरा पिता जवारू 3300/17400 गुर्जर सा. देह खातेदार	1068 मी.	1.7400	1.74
योग	1	1.7400	1.74
नाम खातेदार	**खसरा नम्बर**	**रकबा**	**लगान**
श्री राजेश कुमार पिता सत्यनारायण, सत्यनारायण पिता मिश्रीलाल छीपा सा. आसीन्द जिला भीलवाडा खातेदार	1068/1	1.0800	1.08
योग	1	1.0800	1.08

...नहीं होने से वादी किसी प्रकार का

Scanned by CamScanner

उक्त विभाजन अनुसार पक्षकारान के राजस्व अभिलेख में इन्द्राज करने बाबत् तहसीलदार को लिखा जावें। एवं डिक्री पर्चा पृथक से जारी किया जावें। पत्रावली निर्णित होकर नम्बर से कमी की जावें। आदेश आज दिनांक 25.05.2018 केम्प कोर्ट आगरिया में सुनाया गया।

पीठासीन अधिकारी
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी आमेट
जिला ... अधिकारी
आमेट

राजस्व लोक अदालत "न्याय आपके द्वार – 2018"

संख्यांक नं0 1

मूल वाद में अन्तिम डिक्री (आदेश 20 नियम 6 व 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं (उपखण्ड अधिकारी) आमेट जिला–राजसमंद

पीठासीन अधिकारी :– श्री कालुराम खौड आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 11 / 2017

वादीगण :–

1–श्री सत्यनारायण पिता मिश्रीलाल निवासी ललीत कुंज भीम रोड आसीन्द तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा

2–श्री राजेश कुमार पिता सत्यनारायण निवासी ललीत कुंज भीम रोड आसीन्द तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा

–: बनाम :–

प्रतिवादीगण :–

1– श्री हीरा पिता जवारू गुर्जर निवासी सबलो का खेडा तहसील आमेट जिला राजसमन्द

2– श्री भैरा पिता जवारू गुर्जर निवासी सबलो का खेडा तहसील आमेट जिला राजसमन्द

3– राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार आमेट जिला राजसमंद

दावा :– वाद बाबत् विभाजन

वादीगण की ओर से :– अधिवक्ता श्री शराफत हुसैन

प्रतिवादीगण संख्या 1, 2 व 3 की ओर से :– किशनलाल शर्मा

मे इस आशय में दिनांक 01.05.2018 की न्यायालय के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि वादी द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 53 आरटीए का स्वीकार किया जाता है ग्राम सबलो का खेडा पटवार हल्का साकरडा, तहसील आमेट जिला राजसमन्द के खाता संख्या 131 के आराजी नम्बर 1068 रकबा 2.8200 हेक्टर भूमि का प्राप्त विभाजन अनुसार विभाजन किया जाता है एवं उपरोक्त हिस्सेनुसार राजस्व अभिलेख में पक्षकारान् के पृथक–पृथक अंकन करने हेतु मय विभाजन प्रस्ताव के तहसीलदार आमेट को लिखा जावें । व निर्णय का जुझ हिस्सा विभाजन प्रस्ताव रहेगा।

आज दिनांक को 25.05.2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की गोल मोहर लगाकर जारी की गई।

पीठासीन अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी आमेट

जिला राजसमंद

लोक अदालत / उपखण्ड अधिकारी आमेट

Scanned by CamScanner